Inward No. 5599
20 MAY 2022

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 17-32/2022/ए-ग्यारह भोपाल,दिनांक 18/05/2022

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
अरेरा हिल्स, भोपाल।

विषय:-मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 एवं म.प्र. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम 2016 के अधीन प्रारूप योजना (स्कीम) रतलाम निवेश क्षेत्र (1666.36 हेक्टेयर) के चयन के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक MP/PS/1419 दिनांक 04/03/2022

--00--

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर को राजस्व संभाग, इन्दौर एवं उज्जैन के क्षेत्राधिकार में आने वाले जिलों/क्षेत्र के लिये निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना (स्कीम) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 16-18/2015/बी-ग्यारह, दिनांक 19/06/2019 द्वारा एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

2/ संदर्भित टीप द्वारा मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम 2013 एवं मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम 2016 के नियम 7 (1) एवं नियम 11 के प्रावधानों के अधीन निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध प्रारूप विकास योजना (स्कीम) रतलाम क्षेत्र हेतु कुल चयनित भूमि 1666.36 हेक्टेयर भूमि के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव दिया गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	शासकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे. मे)	निजी भूमि (हेक्टेयर मे)	कुल क्षेत्रफल
1.	बिबड़ोद	724.23	107.39	831.62
2.	सरवानी खुर्द	28.66	0.00	28.66
3.	जामथुन	2.15	0.00	2.15
4.	जुलवानिया	87.03	0.00	87.03
5.	पलसोड़ी	634.52	76.44	710.96
6.	रामपुरिया	5.94	0.00	5.94
कुल क्षेत्रफल		1482.53	183.83	1666.36

निरंतर पृ.क्रं......02

3/ उक्त प्रस्ताव अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4(3) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 7 (2) के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। नियम अनुसार अग्रिम कार्यवाही समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल,दिनांक18/05/2022

पृ. क्रं. एफ 17-32/2022/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन(म.प्र.)।
4. आयुक्त, सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला-रतलाम (म.प्र.)।
6. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर (म.प्र.)।

-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग